



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया रेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 28.07.2022

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस व एसओजी टीम शामली द्वारा कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मीमला भट्टे के पास हुई लूट का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय 02 लूटेरे अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 11.07.2022 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मीमला भट्टे के पास से कासिम पुत्र शब्बीरा निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला से अज्ञात बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल लूट की घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में पीडित द्वारा थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 278/2022 धारा 392 भादवि में पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना स्थल का मौका मुआयना कर क्षेत्राधिकारी कैराना, प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला, सर्विलांस एवं एसओजी टीम शामली को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। गठित टीमों द्वारा घटना के अनावरण हेतु साक्ष्य संकलन एकत्रित करते हुए लूट की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे। जिसके क्रम में दिनांक 27.07.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/इनामी/वारंटी/संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में खंदरावली रजवाहा पुलिया के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश घायल/गिरफ्तार हुआ है। घायल अभियुक्त का मौके से फरार साथी हेमन्त को लगातार सघन कॉम्बिंग करते हुए अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घायल अभियुक्त रोहित उर्फ पुष्पेन्द्र को उपचार हेतु सीएचसी कांधला भेजा गया है। घायल अभियुक्त रोहित उर्फ पुष्पेन्द्र के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर तथा थाना कांधला पर पंजीकृत अभियोग 278/2022 धारा 392 भादवि से संबंधित लूटी गई मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर ब्लैक नम्बर यू0पी0-19के-0643 बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि

- दिनांक 11.07.2022 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मीमला भट्टे के पास से अपने एक अन्य साथी सागर उर्फ छिन्नू पुत्र सुधीर निवासी बनत थाना आदर्शमण्डी के साथ मिलकर मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट की घटना की थी।
- दिनांक 12.07.2022 को थाना तितावी क्षेत्रान्तर्गत पीपल हेड़ा गाँव से एक स्कूटी सवार से सागर उर्फ छिन्नू के साथ मिलकर 6000/- रुपये लूट लिये थे।
- फुगाना थाना क्षेत्रान्तर्गत लोई नहर से एक फेरी वाले से 200/- रुपये व मोबाइल छीन लिये थे।
- हबीबपुर सीकरी के पास बिजली घर के सामने से 1700/- व मोबाइल छीन लिये थे।
- दिनांक 13.07.2022 को इन दोनों ने अपने 04 अन्य साथी 1.सागर उर्फ छिन्नू, 2.गौरव उर्फ आरडीएक्स पुत्र हरेन्द्र निवासी फतेहपुर थाना बाबरी, 3.मनीत पुत्र तेजवीर निवासी उपरोक्त, 4.सागर पुत्र जानी निवासी बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के साथ ग्राम हाथी करौदा में शराब के ठेके से शराब की पेटी चोरी की थी।
- दिनांक 15.07.2022 को इन्होंने अपने साथी सागर उर्फ छिन्नू, गौरव उर्फ आरडीएक्स के साथ मिलकर ग्राम सिक्का में देशी शराब के ठेके से 18 पेटी देशी शराब व 2500/- रुपये चोरी किये थे।
- दिनांक 17.07.2022 को इन्होंने अपने साथी सागर उर्फ छिन्नू, गौरव उर्फ आरडीएक्स, सागर पुत्र जानी के साथ मिलकर ग्राम लिसाढ में देशी शराब के ठेके का शटर उखाडकर चोरी की थी।
- सिसौली थाना भौरां कला जनपद मु0नगर जाते समय इन दोनों ने अपने साथी सागर उर्फ छिन्नू के साथ मिलकर एक बुजुर्ग की पत्सर मोटरसाइकिल लूटी थी।

उपरोक्त सभी जनपदों व थानों को इनकी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित किया गया है।

नाम पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- रोहित उर्फ पुष्पेन्द्र राणा पुत्र इन्द्रपाल निवासी फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली (घायल)।
- हेमन्त उर्फ हेमू पुत्र अरविन्द निवासी बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभि0 हेमन्त पुत्र अरविन्द नि0 बनत थाना आदर्श मण्डी जिला शामली-

- मु0अ0सं0 309/22 धारा 307 भादंवि थाना कांधला जिला शामली।
- मु0अ0सं0 310/22 धारा 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना कांधला जिला शामली।
- मु0अ0सं0 311/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कांधला जिला शामली।

4.मु0अ0स0 278/22 धारा 392/506 भादंवि थाना कांधला जिला शामली ।

5.मु0अ0स0 124/22 धारा 457/380 भादंवि थाना बाबरी जिला शामली ।

6.मु0अ0स0 126/22 धारा 392 भादंवि थाना बाबरी जिला शामली ।

7.मु0अ0स0 102/22 धारा 379 भादंवि थाना भोराकला जिला मु0नगर ।

8.मु0अ0स0 144/22 धारा 457/380 भादंवि थाना आदर्श मण्डी जिला शामली ।

9.मु0अ0स0 29/22 धारा 392 भादंवि थाना आदर्श मण्डी जिला शामली ।

10.मु0अ0स0340/22 धारा 380 भादंवि थाना कोतवाली शामली ।

11.मु0अ0स0 269/22 धारा 379 भादंवि थाना थानाभवन जिला शामली ।

आपराधिक इतिहास अभि0 रोहित उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र इन्द्रपाल नि0ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जिला शामली-

1.मु0अ0स0 309/22 धारा 307 भादंवि थाना कांधला जिला शामली ।

2.मु0अ0स0 310/22 धारा 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना कांधला जिला शामली ।

3.मु0अ0स0 311/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कांधला जिला शामली ।

4.मु0अ0स0 278/22 धारा 392/506 भादंवि थाना कांधला जिला शामली ।

5.मु0अ0स0 124/22 धारा 457/380 भादंवि थाना बाबरी जिला शामली ।

6.मु0अ0स0 126/22 धारा 392 भादंवि थाना बाबरी जिला शामली ।

7.मु0अ0स0 102/22 धारा 379 भादंवि थाना भोराकला जिला मु0नगर ।

8.मु0अ0स0 144/22 धारा 457/380 भादंवि थाना आदर्श मण्डी जिला शामली ।

9.मु0अ0स0 29/22 धारा 392 भादंवि थाना आदर्श मण्डी जिला शामली ।

10.मु0अ0स0340/22 धारा 380 भादंवि थाना कोतवाली शामली ।

11.मु0अ0स0 269/22 धारा 379 भादंवि थाना थानाभवन जिला शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.लूटी हुई मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर नम्बर यू0पी0-19के-0643 (संबंधित मु0अ0सं0 278/2022 धारा 392 भादवि)

2.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर (घायल अभियुक्त रोहित उर्फ पुष्पेन्द्र)

3.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त हेमन्त उर्फ हेमू)



थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा लूट/चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड में अन्तर्जनपदीय 01 शातिर लूटेरा बदमाश घायल व 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से लूट की रकम, मोबाइल तथा अवैध शराब एवं अवैध हथियार बरामद:-

आज दिनांक 28.07.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के चौकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस की चौकिंग के दौरान सूचना पर थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत लूट/चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए हाथी करौदा के जंगल में हुई पुलिस मुठभेड में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 01 शातिर लूटेरा बदमाश घायल/गिरफ्तार हुआ है तथा इसके उपरान्त इसके 02 साथी 1. गौरव उर्फ आरडीएक्स उर्फ कोबरा पुत्र हरेन्द्र नि0 ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली 2. मनीत पुत्र तेजवीर नि0 ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली को गिरफ्तार किया गया जिनकी निशादेही पर एक पेटी देशी शराब तोहफा मार्का सम्बन्धित मु0अ0सं0 124/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना बाबरी व एक अदद पेटी देशी शराब तोहफा मार्का फ्रूटी पैक सम्बन्धित मु0अ0सं0 340/22 धारा 380/457/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली शामली व 02 पेटी देशी शराब तोहफा सम्बन्धित मु0अ0सं0 144/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 व 02 बाली कान की पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 29/22 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना आ0 मन्डी जनपद शामली बरामद हुई। घायल अभियुक्त का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी शामली भेजा गया है। घायल अभियुक्त के कब्जे से लूट की रकम, मोबाइल तथा अवैध शराब एवं अवैध 01 तमचा मय 02 खोखा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 04.07.2022 को वादी श्री रिषीपाल पुत्र भंवर सिंह निवासी अलीपुर कलां थाना तितावी जनपद मु0नगर द्वारा शराब की दुकान से 30 पेटी शराब व 2000/- हजार रुपये अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के संबंध में थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 124/2022 धारा 457,380 भादवि थाना बाबरी पंजीकृत है तथा दिनांक 13.07.2022 को वादी श्री वसीम पुत्र गय्यूर निवासी कैराना जनपद शामली के साथ ग्राम केडी के पास बाइक रुकवाकर मोबाइल व 5000/- रुपये लूट लेने के संबंध में थाना बाबरी पर 126/2022 धारा 392 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा लूट/चोरी की घटना का अनावरण करने एवं घटना में लिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना बाबरी पुलिस को निर्देशित किया गया था। थाना बाबरी पुलिस द्वारा घटना के अनावरण हेतु साक्ष्य संकलन एकत्रित करते हुए लूट की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि इसकी गैंग में इसके गाँव के हेमन्त पुत्र अरविन्द व सागर पुत्र जानी रोहित राणा पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी, गौरव उर्फ आरडीएक्स उर्फ कोबरा पुत्र हरेन्द्र एवं मनीत पुत्र तेजवीर निवासी फतेहपुर थाना बाबरी शामिल है। इसने अपने साथी हेमन्त पुत्र अरविन्द व सागर पुत्र जानी, रोहित राणा पुत्र इन्द्रपाल व गौरव उर्फ आरडीएक्स उर्फ कोबरा पुत्र हरेन्द्र, मनीत पुत्र तेजवीर ने करीब 20-22 दिन पहले थाना बाबरी क्षेत्र के गाँव हाथी करौदा में देशी शराब की दुकान से छत के रास्ते से 30 पेटी शराब तोहफा मार्का चोरी की थी। आज ये अपने साथी सागर पुत्र जानी ईख के साथ खेत से 07 पेटी शराब निकालकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसके अलावा इसने अपने मेरे साथी रोहित राणा व हेमन्त ने करीब 15 दिन पहले थाना बाबरी क्षेत्र से ग्राम केडी से सोटा-रसूलपुर रास्ते पर कपडे की फेरी करने वाले व्यक्ति से उसका मोबाइल व 5000 रुपये की लूट की थी। लूट में से 2500-2500 रुपये इसके व रोहित राणा के हिस्से में आये तथा मोबाइल हेमन्त के हिस्से में आया। इसके अलावा इसने अपने साथी रोहित राणा व हेमन्त ने थाना काधला क्षेत्र से 17 दिन पहले एक व्यक्ति से मीमला ग्राम के भट्टे के पास काले रंग की अपाचे मोटर साईकिल व मोबाइल विवो कम्पनी व 5000 रुपये की लूट की थी। उस लूट से सम्बन्धित मोबाइल इससे आज बरामद किया है। इसके अलावा इसने व इसके साथी रोहित राणा व हेमन्त ने थाना भौरा कलां क्षेत्र से टयूबैल के पास से एक मोटर साईकिल पल्सर रंग काला को चोरी की थी, जिसको इसने अंकित पुत्र धर्मपाल नि0 भुतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर जो देहरादून में रहता है, को 5000 रुपये में बेच दी थी। इसके अलावा इसने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना आदर्श मण्डी क्षेत्र से ग्राम सिक्का की शराब की दुकान से 18 पेटी देशी शराब, एक कैमरा व 2500 रुपये छत तोड़कर चोरी किये थे। इसके अलावा इसने अपने साथियों के साथ मिलकर साढे पाँच माह पहले थाना आदर्श मण्डी क्षेत्र के करौडी अन्डर पास से एक मोटर साईकिल सवार दम्पति को रुकवाकर, तमचा दिखाकर महिला के कानों के कुण्डल व पर्स, व 12000/- रुपये की लूट की थी। इसके अलावा इसने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 10-12 दिन पहले ग्राम लिसाढ में देशी शराब के ठेके से 17 पेटी देशी शराब, एक इनवर्टर बैट्रा चोरी किये थे जिनको इन्होंने बेच कर पैसे आपस में बाट लिए थे। उपरोक्त के संबंध में सभी थानो व थाना भौराकला जनपद मु0नगर को इनकी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित किया गया है।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.सागर उर्फ छीन्नू पुत्र सुधीर निवासी कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
1. गौरव उर्फ आरडीएक्स उर्फ कोबरा पुत्र हरेन्द्र नि0 ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली।
2. मनीत पुत्र तेजवीर नि0 ग्राम फतेहपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

नाम पता फरार अभियुक्त:-

1.सागर पुत्र जानी उर्फ रविन्द्र निवासी कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामिल ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.एक अवैध तमचा मय 02 खोखा /04 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
- 2.लूटा हुआ मोबाइल वीवो कम्पनी (संबंधित मु0अ0सं0 278/2022 धारा 392,506 भादवि थाना कांधला)
- 3.लूट की गई धनराशि से प्राप्त 2000/- रुपये (संबंधित मु0अ0सं0 126/22 धारा 392 भादवि थाना बाबरी) ।
- 4.अवैध 07 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का (संबंधित मु0अ0सं0 124/22 धारा 379,480 भादवि थाना बाबरी)।
- 5.02 बाली कान की पीली धातु ।

आपराधिक इतिहास अभि0 सागर उर्फ छिन्नू उपरोक्त

- 1.मु0अ0सं0 124/22 धारा 457/380/411 भादवि चालानी थाना बाबरी जनपद शामिल।
2. मु0अ0सं0 126/22 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना बाबरी जनपद शामिल।
3. मु0अ0सं0 137/22 धारा 307 भादवि चालानी थाना बाबरी जनपद शामिल।
4. मु0अ0सं0 138/22 धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 । चालानी थाना बाबरी जनपद शामिल।
5. मु0अ0सं0 278/22 धारा 392/506 भादविचालानी थाना कांधला जनपद शामिल।
6. मु0अ0सं0 201/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना आदर्श मण्डी शामिल।
7. मु0अ0सं0 299/20 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट चालानी थाना आदर्श मण्डी शामिल।
8. मु0अ0सं0 108/20 धारा 394/506 भादवि चालानी थाना आदर्श मण्डी शामिल।
9. मु0अ0सं0 462/21 धारा 174 ए भादवि चालानी थाना कोतवाली शामिल।
- 10 मु0अ0सं0 102/22 धारा 379 भादवि चालानी थाना भौरा कलां जनपद मु0नगर।
11. मु0अ0सं0 144/22 धारा 457/380/411 भादवि चालानी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल।
12. मु0अ0सं0 29/22 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल।
- 13.मु0अ0सं0 340/22 धारा 380/457/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली शामिल।

आपराधिक इतिहास अभि0 गौरव उपरोक्त:-

- 1मु0अ0सं0 124/22 धारा 457/380/411 भादवि चालानी थाना बाबरी जनपद शामिल
2. मु0अ0सं0 144/22 धारा 457/380/411 भादवि चालानी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल
3. मु0अ0सं0 29/22 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल
- 4.मु0अ0सं0 340/22 धारा 380/457/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली शामिल

आपराधिक इतिहास अभि0 मनीत उपरोक्त:-

- 1मु0अ0सं0 124/22 धारा 457/380/411 भादवि चालानी थाना बाबरी जनपद शामिल
2. मु0अ0सं0 144/22 धारा 457/380/411 भादवि चालानी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल
3. मु0अ0सं0 29/22 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल
- 4.मु0अ0सं0 340/22 धारा 380/457/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली शामिल



थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मुठभेड मे 03 हिस्ट्रीशीटर टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार , कब्जे से अवैध हथियार बरामद:-

आज दिनांक 28.07.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार , अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा रंगाना तिराहे के पास से पुलिस मुठभेड के दौरान थाना क्षेत्र में लूट की घटना कारित करने के उद्देश्य से आये तीन बदमाशों (1).शौकिन्द्र, (2).राजेन्द्र उर्फ जिन्दर व 3.लोकेन्द्र उर्फ लोकी पुत्रगण ब्रजपाल उर्फ बिरजा नि 0गण ग्राम हरसाना, थाना झिंझाना, जनपद शामली को जंगल ग्राम रंगाना तिराहे के पास से पुलिस मुठभेड मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा तीनों अभियुक्तगण के कब्जे से दो अदद तमन्चे देशी 315 बोर व दो अदद खोखा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू बरामद हुए है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध मे थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे तीनों भाई है , इन तीनों पर पहले भी मुकदमे दर्ज है और इन्होंने लोगों के डराने धमकाने के लिये तमचा कारतूस व चाकू अपने पास रखते है। पुलिस से पकड़े जाने के डर से इन्होंने पुलिस फायर कर दिया। उपरोक्त तीनों अभियुक्त थाना हाजा के हिस्ट्रीशीटर अपराधी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. शौकिन्द्र पुत्र बृजपाल उर्फ बिरजा नि0 ग्राम हरसाना, थाना झिंझाना, जनपद शामली। (टॉप 10)
2. राजेन्द्र उर्फ जिन्दर पुत्र बृजपाल उर्फ बिरजा नि0 ग्राम हरसाना, थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. लोकेन्द्र उर्फ लोकी पुत्र बृजपाल उर्फ बिरजा नि0 ग्राम हरसाना, थाना झिंझाना, जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद देशी 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
2. 01 अवैध चाकू।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 273/2014, धारा 392,411 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली।
- 2.मु0अ0सं0 275/2014, धारा 392,411 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली।
- 3.मु0अ0सं0 297/2014, धारा 307 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली।
- 4.मु0अ0सं0 298/2014, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना झिंझाना, शामली।
- 5.मु0अ0सं0 निल/2014, धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली।
- 6.मु0अ0सं0 193/2015, धारा 307 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली।
- 7.मु0अ0सं0 194/2015, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना झिंझाना, शामली।
- 8.मु0अ0सं0 587/2014, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना बडौत, बागपत।
- 9.मु0अ0सं0 20/2018, धारा 147,148,149,307,504,506 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली।
- 10.मु0अ0सं0 796/2018, धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना झिंझाना, शामली।
- 11.मु0अ0सं0 797/2018, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना झिंझाना, शामली।
- 12.नि0का0नं0 03/20, धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट, थाना झिंझाना, शामली।
- 13.नि0का0नं0 259/19, धारा 110 जी सीआरपीसी, थाना झिंझाना, शामली।
- 14.मु0अ0सं0 344/2022, धारा 307 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली।

15.मु0अ0सं0 345/2022, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना झिंझाना, शामली ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त शौकिन्द्र उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 351/2011, धारा 147,148,149,302 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली ।

2.मु0अ0सं0 731/2017, धारा 41/102 सीआरपीसी व 414,420 भा.द.वि. थाना झिंझाना , जनपद शामली ।

3.मु0अ0सं0 732/2017, धारा 60/72 आबकारी अधिनियम, थाना झिंझाना, जनपद शामली ।

4.मु0अ0सं0 20/2018, धारा 147,148,149,307,504,506 भा.द.वि., थाना झिंझाना, जनपद शामली ।

5.मु0अ0सं0 552/2018, धारा 174। भा.द.वि. थाना झिंझाना, जनपद शामली ।

6.मु0अ0सं0 697/2018, धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना झिंझाना, जनपद शामली ।

7.एनसीआर नं0 01/21, धारा 504, 506 भा.द.वि., थाना झिंझाना, जनपद शामली ।

8.नि0का0नं0 40/21, धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट, थाना झिंझाना, शामली ।

9.मु0अ0सं0 344/2022, धारा 307 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली ।

10.मु0अ0सं0 346/2022, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना झिंझाना, शामली ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त लोकेन्द्र ।

1.मु0अ0सं0 351/2011, धारा 147,148,149,302 भा.द.वि. थाना झिंझाना, जनपद शामली ।

2.मु0अ0सं0 585/2013, धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना झिंझाना, जनपद शामली ।

3.मु0अ0सं0 153/2013, धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट, थाना झिंझाना, शामली ।

4.मु0अ0सं0 318/2012, धारा 379,411 भा.द.वि., थाना झिंझाना, शामली ।

5.मु0अ0सं0 322/2012, धारा 307 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली ।

6.मु0अ0सं0 323/2012, धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना झिंझाना, शामली ।

7.मु0अ0सं0 324/2012, धारा 414भा.द.वि., थाना झिंझाना, शामली ।

8.मु0अ0सं0 20/2018, धारा 147,148,149,307,504,506 भा.द.वि., थाना झिंझाना, शामली ।

9.मु0अ0सं0 344/2022, धारा 307 भा.द.वि. थाना झिंझाना, शामली ।

10.मु0अ0सं0 347/2022, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना झिंझाना, शामली ।

